ऑन लाईन नं. RCMS 2024/149

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 54 / 2024

1. मोहन सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. जसमेल कौर पत्नी श्री आत्मा सिंह, जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 11 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. दिलावर सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–
1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री ऋषिपाल जोशी रेस्पोडेन्ट संख्या–1

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर दिनांक 24.09.2024 जिसकी रूह से अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 03 में 13 बिस्वा रकबा रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश खारिज किया गया बमुराद मनसूखियां।

:: आदेश :: दिनांक :–27.03.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई के नाम से चक 11 के खाता संख्या 13 / 13 , मुरब्बा नम्बर 21,22,25,26 में कुल 11.0310 हैक्टर रकबा में से अपीलांट के पिता के नाम 55 / 3677 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उपरोक्त रकबा अपीलांट के पिता ने खरीद किया हुआ था जो वर्ष 1965 से पूर्व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 03 में 13 बिस्वा रकबा खरीद किया हुआ था जो राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है। अपीलांट के नाम इन्तकाल होने के बाद इंतकाल के खिलाफ अपील उपखण्ड अधिकार, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो तहसीलदार को दिनांक 25.03.2015 को रिमाण्ड की गई थी जिसमें नोटिस जारी किए गए थे जिसमें अपीलांट द्वारा तमाम सबूत पेश करने के बाद रिमाण्ड की कार्यवाही रोक दी गई थी, अब एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 17.05.2024 को प्रस्तुत किया

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, बिना नोटिस जारी किए व बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही दिनांक 24.09.2024 को आदेश पारित किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2015 को दिनांक 30.09.1973 का आदेश निरस्त कर दिया है तथा पूर्व की स्थिति बहाल करके वादी के नाम अमल दरामद किया जावें, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को दोबारा जांच करके निर्णय करने का आदेश पारित किया गया था, तहसीलदार द्वारा बिना सुने, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही आदेश पारित किया गया है, जिसके खिलाफ अपीलांटस इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है, जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार किए जाने योग्य है:—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.09.2024 कानून एवं नियमों के विरूद्ध पारित किया गया है तथा गौर मिसल के है इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है। नकल फैसला शामिल अपील है।
2. यह कि अपीलांट के पिता आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम चक 11 वाई के खाता संख्या 13/13 में कुल 11.0310 हैक्टर रकबा में से 55/3677 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट के पिता द्वारा खरीदशुदा रकबा का इन्तकाल दिनांक 30.09.2013 को अपीलांट के पिता के नाम किया गया था, उसके बाद रकबा अपीलांट के नाम चला आ रहा है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो गया है, राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है।
3. यह कि अपीलांट के पिता ने मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 3 में 13 बिस्वा रकबा वर्ष 1965 से पूर्व खरीद किया गया था। खरीद करने के बाद दिनांक 30.09.1973 को इन्तकाल किया गया था। वर्ष 1965 से पूर्व अपीलांट के पिता के पास कब्जा चला रहा है, यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करे कानूनी भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
4. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जो इंतकाल अपीलांट के पिता के नाम दिनांक 30.09.1973 को किया गया था, उसके खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गई थी, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट को बिना सुने ही तहसीलदार को रिमाण्ड करके जांच के लिए भेजा था, लेकिन तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच के ही एकतरफा तौर पर आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि तहसीलदार द्वारा किसी भी नियम की पालना नहीं की , ना ही कोई अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष निकाला, केवल अपने निर्णय में यह अंकित करना कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा इंतकाल निरस्त कर दिया है, इसलिए पूर्व की स्थिति कायम की जावें, जबकि अपील में ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता, उसमें केवल आदेश निरस्त किया जा सकता है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकॉर्ड देखे ही कानूनी भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पूर्व में कार्यवाही की गई थी, उन्हें रोक दी गई थी, तमाम कार्यवाही विचाराधीन रख दी गई थी, रेस्पोडेन्ट के लड़के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया, हालांकि वह इस मुकदमा में पक्षकार नहीं था, उस प्रार्थना पत्र पर अदालत द्वारा बिना नोटिस जारी किए ही एकतरफा तौर पर पूर्व की स्थिति का आदेश पारित करके कानूनी भूल की है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

7. यह कि यदि अपीलांट को सबूत व सुनवाई का मौका देते तथा बहस का मौका देते तो कानूनन ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

8. यह कि तहसीलदार को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

9. यह कि अपील जानकारी से अन्दर मियाद काबले समायत अदालतवाला है व उचित न्याय शुल्क पर जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है व श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 24.09.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री ऋषिपाल जोशी ने रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील लिखित बहस निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है :–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक 11 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21,22,25,26 की कुल 43 बीघा 12 बिस्वा नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि कलुमल पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज थी जिसमें से कलुमल ने मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3 की 13 बिस्वा जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 14.05.1965 के द्वारा गुरदेव सिंह पुत्र फूमन सिंह को विक्रय कर बैयनामा उप पंजीयक , श्रीगंगानगर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया तथा शेष कृषि भूमि इसी रोज आत्मा सिंह , भजन सिंह पिसरान बुकन सिंह को विक्रय की गई तथा उक्त अनुसार 13 बिस्वा का कब्जा गुरदेव सिंह को तथा शेष भूमि का कब्जा आत्मा सिंह , भजन सिंह पिसरान बुकन सिंह को संपुर्द कर दिया गया,

यहां यह उल्लेख करने योग्य है कलूमल पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त बैयनामा दिनांक 14.05.1965 में वर्णित 13 बिस्वा कृषि भूमि का नामान्तरण गुरदेव सिंह पुत्र फुमन सिंह के नाम दर्ज ना किया जाकर ग्राम पंचायत मोहनपुरा (8 वाई) पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 के द्वारा आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज करके नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में बअवानी अपील गुरदेव सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा , आत्मा सिंह, जसमेल कौर अपील संख्या 05/2009 पेश किये जाने पर उक्त अपील का दिनांक 10.03.2015 को

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय करते हुए नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सभी हितकर पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश की पालना में अदालत माननीय श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 दिनांक 25.03.2015 को दर्ज किया जाकर कार्यवाही शुरू करने पर पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रकरण दिनांक 24.09.2024 को निर्णय करते हुए आदेश जारी किया गया कि "श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 05/2009 निर्णय दिनांक 10.03.2015 के अनुसार ग्राम पंचायत 8 वाई , पंचायत समिति श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.1973 को निरस्त कर दिया गया है। अतः पूर्व स्थिति बहाल कर बैयनामा दिनांक 14.05.1965 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें, के विरूद्ध अपील पेश की गई है जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से लिखित बहस निम्न है :-

1. राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण के समय गलती से आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज 55/3677 हिस्सा यानि 0.165, यानि 13 बिस्वा कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नहीं।

चक 11 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के वर्तमान खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 21,22,25,26 की कुल 11.021 हैक्टर नहरी/बारानी गय खाला कृषि भूमि में से आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज 55/3677 हिस्सा यानि 0.165 हैक्टर यानि 13 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज है जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना है उक्त नामान्तरण होने से किसी भी पक्षकार पसर कोई विपरीत असर नही है। अपीलार्थीगण ने धारा 96 जाब्ता दीवानी का अपील के साथ प्रार्थना पत्र पेश करते हुए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति मांगी गई है जबकि अपीलार्थीगण किसी प्रकार से उक्त प्रकरण में हितबद्ध नहीं है, आत्मा सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 3 की 13 बिस्वा कृषि भूमि जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 14.05.1965 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादाजी गुरदेव सिंह पुत्र फुमन सिंह द्वारा खरीद की हुई है जिस पर अपीलार्थीगण का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई दस्तावेजी सबूतों के विरूद्ध पेश की गई अपील पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले निरस्ती है।

2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 05/2009 निर्णय दिनांक 10.03.2015 की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है:-

ग्राम पंचायत मोहनपुरा (8 वाई) पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा कलूमल पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय बैयनामा दिनांक 14.05.1965 में वर्णित 13 बिस्वा कृषि भूमि का स्वीकृत नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 के द्वारा आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम गलती से दर्ज होने के कथन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 05/2009 निर्णय दिनांक 10.03.2015 में निर्णत किया जा चुका है तथा दोनो पक्षो

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के दस्तावेज के आधार अदालत मातहत को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने के आदेश दिये जा चुके है उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2015 दर्ज किया जाकर सम्पूर्ण दस्तावेज देखकर अदालत मातहत ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये है जो पूर्णतः विधिवत् है तथा अपील में विधि विरूद्ध आदेश होने का कोई बिन्दु उजागर ही नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेख करने योग्य है कि आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज भूमि का बैयनामा दिनांक 27.10.1987 को अवतार सिंह के हक में तहरीर करवाये गये बैयनामा में 13 बिस्वा कृषि भूमि छोड़कर शेष भूमि का बेचान करने के कथन अंकित किये गये है जिससे भी स्पष्ट है कि आत्मा सिंह ने 13 बिस्वा भूमि गलती से दर्ज होने के कथन स्वीकार किए हुए है इसलिए भी अपीलार्थीगण की अपील काबिले निरस्ती है। (आत्मा सिंह का शपथ पत्र , कलूमल का शपथ पत्र, बैयनामा की प्रति रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की हुई है।)

3. **धारा 96 सीपीसी के तहत आत्मा सिंह के वारिसान को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है :–**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा बअनवानी अपील गुरदेव सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा, आत्मा सिंह, जसमेल कौर अपील संख्या 05/2009 दिनांक 10.03.2015 को आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह व जसमेल कौर पत्नी भजन सिंह की विधिवत् सुनवाई करते हुए निर्णित करते हुए नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 निरस्त किया जा चुका है अब पुनः धारा 96 सीपीसी के तहत आत्मा सिंह के वारिसान को अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही है, इसलिए भी अपील काबिले निरस्ती है।

4. <u>अपीलार्थीगण को सुनवाई देकर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है:–</u>

अपीलाधीन आदेश अदालत मातहत में विचाराधीन रिमाण्ड प्रकरण संख्या 01/2015 को दिनांक 24.09.2024 का निर्णय करते हुए सभी पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने की दिनिांक 25.03.2015 से 24.09.2024 तक 9 वर्ष 6 माह की समयावधि में उचित सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलार्थीगण के जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर सुनवाई का अवसर देकर समस्त दस्तावेजात एवं वस्तुस्थिति को मध्य नजर रखते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण अपील पेश करने हेतू अधिकृत नहीं होने के कारण अपील काबिले निरस्ती है।

5. <u>अपील रिमाण्ड प्रकरण में जारी आदेश के विरूद्ध पेश की गई है:–</u>

अपीलार्थीगण द्वारा अपील रिमाण्ड प्रकरण में जारी आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा बअनवानी अपील अपील गुरदेव सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा, आत्मा सिंह, जसमेल कौर अपील संख्या 05/2009 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा निरस्त कर दस्तावेज के आधार पर किये गये इन्तकाल आदेश की गई है जबकि निर्णय दिनांक 10.03.2015 अन्तिम हो चुका है जिसकी पालना में बैयनामा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा8)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार नामान्तरण दर्ज करना विधि सम्मत् है। निर्णय दिनांक 10.03.2015 को अपीलार्थीगण ने ज्ञान होने के बावजूद भीसा किसी अपीलीय न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है इसलिए उक्त अपील के आधार पर अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 10.03.2015 की क्रियान्विती स्थगित करवाना चाहते है जिसकी अपील श्रीमान जी न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए भी अपील काबिले निरस्ती है।

6. <u>सक्षम व्यक्ति गुरदेव सिंह पुत्र फुगन सिंह को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं काल्पिनिक एवं मनगढ़त कहानी बनाकर वास्तविकता को छिपाकर अपील पेश की गई है:–</u>

अपीलार्थीगण ने उक्त अपील में सक्षम व्यक्ति गुरदेव सिंह पुत्र फुगन सिंह को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं काल्पिनिक एवं मनगढ़त कहानी बनाकर जानबूझकर वास्तविकता को जानते हुए भी वास्तविकता छिपाकर अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपील पेश की है, अपीलार्थीगण नेकनीयत नहीं है इसलिए अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

7. <u>अपीलार्थीगण का न्यायिक कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने की उदासीनता रही है:–</u>

अदालत मातहत में रिगाण्ड प्रकरण संख्या 01/2015 दिनांक 25.03.2015 से 24.09.2024 तक यानि 9 वर्ष 6 माह की समयावधि तक प्रकरण विचाराधीन रहा तथा अपीलार्थीगण वकालतन उपस्थित हुए तथा इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भी अपीलार्थीगण का न्यायिक कार्यवाही में भी प्रकार सुनवाई की दिनांक को उपस्थित नहीं होना उनकी उदासीनता को दर्शाता है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने क्लीन हैण्ड से अपील पेश नहीं कर कानून का दुरूपयोग करते हुए मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

8. <u>अपीलार्थीगण का आशय अनुचित दवाब बनाकर भूमि हड़प करने एवं राशि बटारने का है:–</u>

अपीलार्थीगण क्लीन हैण्ड से अदालत में नहीं आये है, अपीलार्थीगण का आशय अनुचित दवाब बनाकर भूमि हड़प करने एवं राशि बटारने का है। अपीलार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में बअनवानी अपील गुरदेव सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा , आत्मा सिंह, जसमेल कौर अपील संख्या 05/2009 के निर्णय दिनांक 10.03.2015 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 निरस्त किया गया है के विरूद्व अपील दायर कर सकते थे लेकिन अपने विधिक उपचार की अवहेलना कर मनमाना रवैया अपनाकर विधिक प्रावधानों एवं विधिक निर्णय की खुलेआम अवहेलना करते हुए उक्त अनवानी अपील विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पेश की है जो चलने योग्य नहीं है एवं सारहीन एवं विधि की दृष्टि में शुन्य है इसलिए भी अपील काबिले निरस्ती है।

9. <u>अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से हितबद्व एवं पीड़ीत नहीं है:–</u>

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

चक 11 बाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के वर्तमान खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 21,22,25,26 की कुल 11.021 हैक्टर नहरी / बारानी गय खाला कृषि भूमि में से आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज 55/3677 हिस्सा यानि 0.165 हैक्टर यानि 13 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज है जिसका नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना है उक्त नामान्तरण होने से किसी की पक्षकार पर कोई विपरीत असर नहीं है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थीगण किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित नहीं है। अपीलार्थीगण उक्त आदेश के विरुद्ध अपील पेश करने में अपने किसी विधिक अधिकार मुख्तरित करने में असफल रहे है।

10. आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम गलती से राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज होने के कथन स्वीकार किये जिससे विवन्धित है:-

ग्राम पंचायत मोहनपुरा (6 बाई) पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा कलूमल पुत्र बुकन सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय बैयनामा दिनांक 14.05.1965 में वर्णित 13 बिस्वा कृषि भूमि का स्वीकृत नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 के द्वारा आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह के नाम गलती से दर्ज होने के कथन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णित किया जा चुका है जिसमें आत्मा सिंह एवं जसमेल कौर पक्षकार संयोजित है तथा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया हुआ है। आत्मा सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने नाम गलती से नामान्तरण दर्ज होने के कथन स्वीकार करते हुए शपथ पत्र भी निष्पादित किया हुआ है ऐसी स्थिति में कलूमल से रेस्पोडेन्ट द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि में आत्मा सिंह का या इसके वारिसान को धारा 98 सीपीसी के तहत अनुमति लेकर अपील पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। आत्मा सिंह व इसके वारिसान उक्त शपथ पत्र से विवन्धित है, इसलिए भी अपील अपीलार्थीगण काबिले निरस्ती है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील संव्यय खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता आत्मा सिंह पुत्र बुकन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 बाई के नाम से चक 11 के खाता संख्या 13/13 , मुरब्बा नम्बर 21,22,25,26 में कुल 11.0310 हैक्टर रकबा में से अपीलांट के पिता के नाम 55/3677 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उपरोक्त रकबा अपीलांट के पिता ने खरीद किया हुआ था जो वर्ष 1965 से पूर्व मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 03 में 13 बिस्वा रकबा खरीद किया हुआ था जो राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है। अपीलांट के नाम इन्तकाल होने के बाद इंतकाल के खिलाफ अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो तहसीलदार को दिनांक 25.03.2015 को रिमाण्ड की गई थी जिसमें नोटिस जारी किए गए थे जिसमें अपीलांट द्वारा तमाम सबूत पेश करने के बाद रिमाण्ड की कार्यवाही रोक दी गई थी, अब एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 17.05.2024 को

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, बिना नोटिस जारी किए व बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही दिनांक 24.09.2024 को आदेश पारित किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2015 को दिनांक 30.09.1973 का आदेश निरस्त कर दिया है तथा पूर्व की स्थिति बहाल करके वादी के नाम अमल दरागद किया जावें, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को दोबारा जांच करके निर्णय करने का आदेश पारित किया गया था, तहसीलदार द्वारा बिना सुने, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत आदेश दिनांक 24.09.2024 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के बअनवानी अपील गुरदेव सिंह बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा , आत्मा सिंह, जसमेल कौर अपील संख्या 05/2009 के निर्णय दिनांक 10.03.2015 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 14 दिनांक 30.09.1973 निरस्त किया गया है, की पालना में पुनः पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण संख्या 01/2015 दिनांक 25.03.2015 से सुनवाई कर दिनांक 24.09.2024 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमें दोनो पक्षकारों के अधिवक्तागण उपस्थित हुए है। अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया सत्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2024 में कोई वैधानिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner